न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या

01/2022

जाकिर हुसैन निवासी राज टाकिज के पीछे टोंक राज0

बनाम

––अपीलार्थी

लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (भू0अ0) कलेक्ट्रट टोंक

––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक **6.04.2022**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी (भू0अ0) कलेक्ट्रट टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 08–05–2021 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही गई है :–

1 यह कि तहसीलदार भू0अ0 टोंक के कार्यालय में पदस्थापित रहे पटवारी/गिरदावर हल्का कस्बा शर्की टोंक श्री प्रहलाद सिंह के विरूद्व प्राप्त परिवादों की सूचना एक–एक प्रति में उपलब्ध करावे।

2 श्री प्रहलाद सिंह पटवारी हल्का कस्बा गर्बी/ शर्की टोंक के विरूद्व वर्ष 2000 व 2003 में लोकायुक्त कार्यालय राज0 जयपुर से जाचं हेतु प्राप्त परिवाद मय जांच रिपोर्ट के सूचना एक–एक प्रति में उपलब्ध करावे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी (भू0अ0) कलेक्ट्रट टोंक को पत्र क्रिमांक 926 दिनांक 23–02–2022 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी (भू0अ0) कलेक्ट्रट टोंक द्वारा पत्र कमांकः रिकार्ड/आरटीआई/2020/1470 दिनांक 15–03–2022 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही बिन्दु संख्या 1 व 2 की सूचना को प्राप्त करने के संबंध में उनके पत्र कमांकः आरटीआई/2020/1325 दिनांक 7–03–2022 व पत्र कमांकः आरटीआई/2020/8371 दिनांक 3–11–2021 से सूचना प्राप्त करने बाबत् सूचित किया गया है, जिसकी प्रतियां जवाब के साथ संलग्न की गई है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना प्राप्त करने के लिए सूचित किया जा चुका है । अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की [illegible] सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी (भू0अ0) कलेक्ट्रट टोंक तथा अपीला[illegible] की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:09:42 IST
Reason: SelfAttested

([illegible] गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक